APP. A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत तहसीलदार मुकाम महुवा

सरकार बनाम महेन्द्र, तनसिंह पुत्र लाखनसिंह राजपूत

मिसल मुकदमा धारा 91 LR Act नं. 333 सन् 18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-2-18	पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 28.2.18 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	तनसिंह महेन्द्रसिंह
28/2/18	पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमियान अनुपस्थित आये हैं। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर हैं। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 8/3/18 को पेश हो।	
8/3/18	आज पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी उपस्थित आये हैं। अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः पीतलिया वालजी की अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	तनसिंह महेन्द्रसिंह

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 333/18 तारीख रजू 19/2/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का 16/2/18 बनाम महेन्द्र, तमंसिंह पुत्र लाखनसिंह जाति राजपूत निवासी सौंत तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 08/3/18
08/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री महेन्द्र, तमंसिंह ने ग्राम पीतलिया बालजी की भूमि ख.न. 838 रकबा 0.02 किस्म गै०मु० रास्ता फसल ~~रबि / खरीफ~~ संवत 2074 में गेहूँ कर अतिक्रमण किया है । इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। ~~उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया~~ उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव मे कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नही किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 838 रकबा 0.02 **किस्म** गै०मु० रास्ता वाके ग्राम पीतलिया बालजी से बेदखल किया जाता है । तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.88 का 50 गुणा 44 रु. शस्ति से दण्डित किया जाता है । तथा इस पर खडी फसल गेहूँ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों । तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पेज नं. 65 पर
वर्ष 2017-18 ... बेदखली/फसल नीलामी
की राशि ... 44 रु. ...
की जमा कायमी की गई
दिनांक 21/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा